


7/6
25

पत्रावली पेशादुरी, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुई जिसे शा. प्र. किये शये। विपक्षीगण को कितनी बार कंक कंक कर आवाजे जियायी जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का अदेश दिया जाता है वकील प्रार्थिया का गार पत्र स्वीकार किया जाकर नियम सप्तमसे लिया जाकर शा. प्र. दिया गया। पत्रावली कंसल अंमर होकर नाम्तरसे कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीलवाड़ा

